दिनांक: 13-06-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ, पुलिस द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी बिहारीगढ के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 13.06.2024 को 01 वारन्टी अभियुक्त **गुडडू पुत्र रमेश कुमार निवासी अब्दुल्लापुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर** वाद सं0 1194/22 धारा 498 भादवि चालानी थाना बिहारीगढ को ग्राम अब्दुल्लापुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

गुडडू पुत्र रमेश कुमार निवासी अब्दुल्लापुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम:-

1. उ0नि0 श्री वेदप्रकाश थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. का0 2523 गौरव सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

दिनांकः 13-06-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा हत्या के 01 वान्छित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 06.06.2024 को वादिया अनिता पुण्डीर पुत्री सुरेशपाल निवासी ग्राम मजरा भोज्जेवाला थाना बेहट जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादिया के पिता सुरेशपाल व वादिया के भाई उधम सिंह उर्फ कृष्णा के साथ जानलेवा हमला कर मारपीट करने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 168/24 धारा 147/323/352/325 भादवि पंजीकृत कराया गया था। जिसमे दौराने इलाज वादिया के भाई कृष्णा उर्फ ऊधम सिंह की मृत्यू हो जाने के कारण मुकदमा उपरोक्त मे धारा 149/302 भादवि की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना बेहट श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वान्छित अभियुक्त **लिल्ला उर्फ सौरभ पुत्र संजय उर्फ संजीव उर्फ काला निवासी ग्राम भोजेवाला थाना बेहट सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर बाहद कस्बा देवबन्द सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे भाई सुशील और सुरेश जो कि रिस्ते में मेरे ताऊ जाधोराम का लडका हैं जिसके खेत पास में हैं हम दोनो के खेतो की डोल एक ही हैं मेरे हिस्से में करीब 20 बीघे जमीन हैं तथा सुरेश के हिस्से में करीब 10 बीघा जमीन हैं सुरेश अक्सर मेरे खेत की मैड को काटता रहता हैं और मेढ के पास लगे पेडो को काट छाट करता रहता हैं पहले भी सुरेश ने मेरे मेढ के पास लगे पेडो को काटकर नुकसान पहुँचाया था जिसका आपस मे बैठकर फैसला हो गया था। दिनांक 04.06.2024 को जब मेरा भाई अपने खेत पर गया तो सुरेश और उसका लडका कृष्णा पुण्डीर उर्फ उधम सिंह मेरे खेत की मेढ पर लगे पेडो को काट रहे थे। मेरे भाई सुशील ने उनको रोककर गांव में फोन कर दिया था फोन करने पर गांव से मैं तथा हमारे साथ कई लोग पहुँच गये थे हम लोगो ने इन्हे ऐसा करने के लिये टोका तो इन लोगो ने हम लोगो के साथ गाली गलौच करी रोज रोज के झगडे से परेशान होकर हमने वही पडे लाठी डण्डे उठाकर दोनो को खत्म करने के उद्देश्य से मारपीट कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

लिल्ला उर्फ सौरभ पुत्र संजय उर्फ संजीव उर्फ काला निवासी ग्राम भोजेवाला थाना बेहट सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री बलराम सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 521 सुनील राणा थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
4. का0 1323 कुलदीप कुमार थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
5. का0 2036 हर्ष तोमर थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर

दिनांकः- 13.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमन्चा ,01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण, अवैध अस्लहो की तस्करी की रोकथाम एंव इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष थाना सरसावा श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व मे थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन के दौरान 01 शातिर अभियुक्त **सद्दाम पुत्र अब्दुल वहीद निवासी मौ0 मिर्धान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को चिलकाना रोड गुलजारी विहार जाने वाली सडक से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से **01 तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर** बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त सद्दाम उपरोक्त के विरूद्ध थाना सरसावा पर **मु0अ0सं0 136/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त सद्दाम उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैने यह तमन्चा आने जाने ट्रक ड्राईवर से खरीदा था, और मै यह तमन्चा आस – पास के लोगों व दोस्तो में अपना रौब जमाने के लिये रखता हूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नामः-

सददाम पुत्र अब्दुल वहीद निवासी मौ0 मिर्धान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमन्चा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 राजीव कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. का0 1259 विनीत तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 13-06-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 13.06.2024 को वारंटी अभियुक्त **सोनू उर्फ खडकू पुत्र स्वः कमालू निवासी ग्राम दिनारपुर थाना गागलहेडी सहारनपुर** वाद स0- 305/2022 मु0अ0स0- 218/2018 धारा 452/380/411 भादवि को ग्राम दिनारपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

सोनू उर्फ खडकू पुत्र स्वः कमालू निवासी ग्राम दिनारपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री ओमपाल सिंह यादव थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
2. है0का0 810 राहुल चौहान थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
3. है0का0 289 जोगेन्द्र सिंह थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।

दिनांकः 13-06-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा चोरी की घटना का मात्र 24 घण्टे में सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 04 बैटरें बरामद।

अवगत कराना है कि दिनाँक 12.06.2024 को वादी सचिन जैन पुत्र विपिन जैन नि0 न्यू0 आवास विकास कालौनी थाना सदर बाजार सहारनपुर द्वारा थाना सदर बाजार उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की ई -रिक्शा से बैटरी चोरी करने के सम्बन्ध में **मु0अ0स0 332/24 धारा 379 भादवि** पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुऐ घटना का सफल अनावरण करने एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतू आदेश–निर्देश दिये, आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्र0नि0 सदर बाजार श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेत्तृव में थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्तगण **अजय कुमार पुत्र महावीर नि0 आशीर्वाद विहार कालौनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर एवं सलमान पुत्र लईक उर्फ छन्नू नि0 देहरादून चौक खानआलमपुरा लाला का बाग थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 13.06.2024 पाईन हॉल स्कूल के सामने से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 04 ई-रिक्शा बैटरे बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त अजय उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैने दिनांक 08/09.06.2024 की रात्रि में आवास विकास कालोनी में खडे ई-रिक्शा से चार बैटरे रंग नीला चोरी कर लिये थे। जिसे मै टाटा जैस्ट रंग सफेद न0 UP 11BX 3633 गाडी की डिग्गी मे डालकर ले गया था। यह गाडी मेरे पडोसी की है उसी से मजबूरी बताकर मांगकर लाया था। चोरी किए हुए बैटरों में से 02 बैटरे मैने सलमान को बेच दिए थे। इसके बाद अभियुक्त सलमान उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि मै लालच मे आ गया था। मैने इससे दो बैटरे खरीद लिये थे। जो पुलिस ने मेरी दुकान से बरामद कर लिये है।

अभियुक्तगण का नाम व पताः-

- अजय कुमार पुत्र महावीर नि0 आशीर्वाद विहार कालौनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
- सलमान पुत्र लईक निवासी देहरादून चौक खानआलमपुरा लाला का बाग थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 04 बैटरें

अभियुक्त अजय का आपराधिक इतिहासः-

- मु0अ0सं0- 112/20 धारा 188 भादवि थाना कोतवाली मण्डी स0पुर
- मु0अ0सं0- 63/23 धारा 147/148/149/307/325 भादवि थाना सदर बाजार स0पुर
- मु0अ0सं0- 262/20 धारा 188/269/270/271336 भादवि व 3 महामारी अधि0थाना सदर बाजार स0पुर
- मु0अ0सं0- 300/20 धारा 147/148/323/325/452/504/506 भादवि थाना सदर बाजार स0पुर
- मु0अ0सं0- 303/23 धारा 376डी/504 भादवि थाना सदर बाजार स0पुर
- मु0अ0सं0- 430/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सदर बाजार स0पुर
- मु0अ0सं0- 550/22 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार स0पुर
- मु0अ0सं0- 786/22 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार स0पुर
- मु0अ0स0 332/24 धारा 379 भादवि थाना सदर बाजार स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 शशांक गिरि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. है0का0 850 सचिन थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. का0 1552 रोहित थाना सदर बाजार सहारनपुर।